न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 271/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा –प्रार्थी

बनाम

1. डूंगा पिता चुना रेगर निवासी चांद जी की खेडी तहसील बिजौलिया –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. श्री दिनेश चन्द्र तिवाडी राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.09.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलिया की आ.न. 341 रकबा 2.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 10.10.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 04.08.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांद जी की खेडी तहसील बिजौलिया की आ.न. 341 रकबा 2.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात का आवंटन नियमानुसार हुआ हैं तथा गैर खातेदारी हक से दर्ज हुयी हैं, किन्तु उक्त आराजियात को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने चाहिये थे। क्योंकि अप्रार्थी उक्त भूमि का कानूनी रूप से खातेदार हो चुका हैं, क्योंकि अप्रार्थी ने आवंटन शर्तों की पालना की हैं एवं नियमानुसार 10 वर्ष की अवधि पश्चात् स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने का प्रावधान व निर्देश हैं। अप्रार्थी का मौके पर

अति. जिला कलक्टर

कब्जा व काश्त आवंटी का प्रारम्भ से ही हैं। आवंटी सद्भावी कृषक है। पटवारी हल्का द्वारा अपने कर्तव्यों की अधीन मौके पर आकर जिंसवारी नही की गयी एवं लगातार अकाल की स्थिति बनी रहने के कारण व पानी के अभाव में फसल भी नष्ट हुयी हैं। आवंटन के अत्यधिक लम्बी अवधि के उपरांत आवंटन के निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। भूमिधारी तहसीलदार स्वयं हैं और आवंटन कमेटी का सदस्य भी तहसीलदार होता हैं, जिसकी राय से भू आवंटन किया जाता हैं, इस कारण तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश करना विधि संगत नहीं हैं। नियमानुसार पुराने आवंटन निरस्तीकरण केवल त्रुटिपूर्ण, अवैधानिक आदेश व गलत तथ्य प्रस्तुत कर तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या व्यपदेशन कर या आवंटन की पात्रता आवंटी को प्राप्त न होकर आवंटन करवाया गया हो, तब ही आवंटन निरस्त किये जाने के प्रावधान हैं। इस प्रकरण में आवंटन के त्रुटिपूर्ण या अवैधानिक होने के तथ्य को वर्णित नहीं किया गया है। निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान कराये जाने का आदेश कराया जाये। विपक्षी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त मा. न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/एलआर/5448/2010/भीलवाडा उनवान नारायण रेगर बनाम सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा के निर्णय दिनांक 22.07.2019 की प्रति पेश की गयी।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांद जी की खेडी तहसील बिजौलिया की आ.न. 341 रकबा 2.10 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। अप्रार्थी स्वयं ने भी आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नही किया हैं, न ही आवंटन के प्रथम 03 वर्ष में विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना कर आवंटनशुदा भूमि पर काश्त की गयी हो, इस प्रकार का कोई प्रमाणिक दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार विपक्षी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होता हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलिया की आ.न. 341 रकबा 2.10 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार बिजौलिया को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांद जी की खेडी तहसील बिजौलिया की आ.न. 341 रकबा 2.10 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा